न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 10/2024 | तारीख रजू. 20.5.2024 | तारीख फैसला 09-7-2025

सांवल्या पुत्र रामफूल, जाति मीना, निवासी बिछोछ, तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी,

प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला,
2. कंवरपाल पुत्र बीरबल,
3. झण्डू पुत्र भोला,
4. ठण्डी पुत्र भोला,
5. धनबाई पत्नी लटूर,
6. रामकरण पुत्र बीरबल,
7. रामजी लाल पुत्र छीतर,
8. रामनाथ पुत्र बीरबल एवं
9. लाड़बाई पुत्री छीतर,

सभी जाति मीना, निवासी बिछोछ, तहसील बरनाला, जिला गंगापुर सिटी

10. कमलेश पुत्र राम प्रसाद,
11. मिथिलेश पुत्र रामप्रसाद,
12. भरत लाल पुत्र हरगोविंद,
13. कांती देवी पत्नी चरत लाल,
14. जीतेन्द्र पुत्र चरत लाल,
15. रजनीश पुत्र चरत लाल,
16. अंगूरी देवी पुत्री चरत लाल,
17. कलावती पुत्री चरत लाल,
18. भौंती देवी पत्नी हरगोविंद
19. प्रकाशी पुत्री कल्याण पत्नी रामचरण मीना, निवासी बिलोना कलाँ, तहसील लालसोट,

अप्रार्थीगण

अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 24 सभी प्रोफॉर्मा अप्रार्थी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बामनवास

20. फौरन्ता पुत्री कल्याण पत्नी बृजलाल, जाति मीना, निवासी कोटड़ी, तहसील तलवड़ा,

21. रामनरी पुत्री कल्याण पत्नी रामरूप, जाति मीना, निवासी टोड़ा ठेकला, तहसील लालसोट,

22. मुक्ति पुत्री कल्याण पत्नी मुकेश, जाति मीना, निवासी टोड़ा ठेकला, तहसील लालसोट,

23. फलता पुत्री कल्याण पत्नी कमलेश, जाति मीना, निवासी शेषपुर, तहसील नांगल,

24. चलता पुत्री कल्याण पत्नी सोनू, जाति मीना, निवासी मालवीय नगर, जयपुर,

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट

आदेश दिनांकः

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम बिछोछ, तहसील बरनाला स्थित खाता संख्या 467 में वर्णित भूमि कुल किता 25 कुल रकवा 10.11 हैक्टेयर प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् हैं, जिनको प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त कर उपयोग व उपभोग में लेकर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं । बाह्मी विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर 1826 रकवा 0.54 हैक्टेयर प्रार्थी के हिस्से में आया है, जिसमें

जिस्ट्रेट
वास

Scanned with CamScanner

प्रार्थी ने अपनी रिहायश व कृषि यंत्र रखने हेतु निर्माण भी किया हुआ है । प्रार्थी मुख्य रास्ते खसरा नम्बर 2176 से अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1827 रकवा 0.55 हैक्टेयर व 1828 रकवा 0.55 हैक्टेयर में होकर ही अपने पूर्वजों के समय से अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में आता जाता रहा है तथा उक्त भूमि में बने रास्ते का उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी भूमि में आवागमन के लिए एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए आराजी खसरा नम्बर 1827 व 1828 में स्थित रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है, जो करीब 25 फिट चौड़ाई का दक्षिण से उत्तर की ओर है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल भाग से दर्शित किया गया है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि तक पहुँचने हेतु यही एक मात्र निकटतम रास्ता है, प्रार्थी को अपनी उपरोक्त आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु एवं कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है, निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 2176 से निकटतम रास्ता भूमि खसरा नम्बर 1827 व 1828 में होकर ही बनता है तथा यही रास्ता मौके पर पूर्व से ही बना हुआ भी है, परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में कोई अंकन नहीं हो रहा है । उक्त रास्ते

जिस्ट्रेट
वास

Scanned with CamScanner

का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा अदा करने को तैयार है। प्रार्थी उक्त रास्ते से होकर शुरू से ही आमद रफ्त करता रहा है परन्तु अब अप्रार्थीगण के मन में बदनीयती आ गई है और उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर आये दिन प्रार्थी को उक्त भूमि में होकर उसके आवागमन में परेशानी पैदा करते रहते हैं तथा रास्ता बंद करने की धमकी देते रहते हैं, उक्त रास्ते का प्रार्थी शुरू से ही उपयोग, उपभोग व प्रयोग कर रहा है परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थीगण आये दिन उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियाँ देते रहते हैं। आगे कथन किया है कि कागजात सरकारी लैण्ड रिकॉर्ड तहसील में उक्त रास्ते का कोई अंकन नहीं हो रहा है, जिससे कि प्रार्थी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा आये दिन अप्रार्थीगण से विवाद होता रहता है। मौके पर अर्से कदीम से बने हुए रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कर मौके के अनुसार तरमीम करने का एक मात्र अधिकार तहसील अधिकारी, कर्मचारी व श्रीमान् जी को प्राप्त है तथा यह उनके कर्तव्यों में भी शुमार है। इसके उपरान्त भी यदि श्रीमान् जी आदेश फरमाते हैं तो प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि के बाबत नियमानुसार अप्रार्थी को मुआवजा राशि भी अदा करने को तैयार है, विधि अनुसार खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु

न्यायहित में रास्ता दिया जाना न्यायोचित है, जिससे कि प्रार्थी अपनी भूमि पर आ जा सकें व कृषि यंत्र ला ले जा सके व भूमि का उपयोग उपभोग कर सके । दिनांक 16.3.2024 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में करवाने तथा मुहावजा राशि लेने बाबत निवेदन किया, परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने व मुआवजा राशि प्राप्त करने से मना कर दिया । इस आधार पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1826 रकवा 0.54 हेक्टेयर में आने जाने व अपने कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु आराजी हाल खसरा नम्बर 1827 एवं 1828 में से नजरी नक्शे में लाल रंग के अनुसार दर्शित 25 फिट चौड़े स्थान को रास्ता दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें ।

अप्रार्थीगण को उक्त आशय के दावे के नोटिस प्रेषित किए गए ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक/कोर्ट/रीडर/ 2024/650 दिनांक 27.8.2024 की अनुपालना में अपने जवाब में कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 1826 रकवा 0.54 हेक्टेयर तक पहुँचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में कोई

मजिस्ट्रेट
मनावास

Scanned with CamScanner

गैरमुमकिन रास्ता दर्ज नहीं है तथा खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि पर पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है । खातेदार को खसरा नम्बर 2176 गैरमुमकिन रास्ते से अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1826 में पहुंचने का सबसे नजदीकी खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.55 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.55 हेक्टेयर में होकर ही है ।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 9 की ओर से अपने जवाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तात्विक कथनों को अस्वीकार करते हुए आगे कथन किया गया है कि खाता संख्या 467, कुल किता 25, कुल रकबा 10.11 हेक्टेयर ग्राम बिछोछ भूमि अविभाजित है, जिसके प्रत्येक खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है । जमाबंदी अनुसार सहखातेदार 1 लगायत 10 1/2 हिस्से के हिस्सेदार हैं । प्रत्येक खसरा नम्बर की एक-एक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारों का कब्जा काश्त है । प्रार्थी का खसरा नम्बर 1826 रकबा 0.54 हेक्टेयर में 1/2 हिस्सा दर्ज है । खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.55 हेक्टेयर अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है, जिसमें प्रार्थी का कभी आवागमन नहीं रहा है । प्रार्थी का पृथक से रास्ता दर्ज है, जिस पर होकर प्रार्थी शुरू से आवागमन करता चला आ रहा है । खसरा नम्बर 2417 डामर रोड़ बनी हुई है, जो आबादी भूमि खसरा नम्बर 1808 तक जाती है । खसरा नम्बर 1808 आबादी भूमि के पश्चात् ग्राम पंचायत बिछोछ द्वारा सी.सी.

मजिस्ट्रेट
नवास

रोड़ खसरा नम्बर 1831 तक पुख्ता बनी हुई है । खसरा नम्बर 1831, 1825, 1826 में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है । इसी रोड़ से प्रार्थी का पुराने जमाने से आवागमन रहा है, जिसे बरंग लाल से जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है ।

अप्रार्थी संख्या 10 से 24 की ओर से किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली हमारे द्वारा बहस सुनी जाकर पत्रावली व उस पर उपलब्ध सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1826 ग्राम बिछोछ में स्थित है तथा हाल खसरा नम्बर 2176 मुख्य सड़क मार्ग है, तहसीलदार बरनाला की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मुख्य सड़क मार्ग खसरा नम्बर 2176 से प्रार्थी अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1826 में खसरा नम्बर 1827 व 1828 से होते हुए निकलता है । तहसीलदार बरनाला की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वर्तमान में इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम या रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है । ऐसे में विधि का भी यही सिद्धान्त है और धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट में भी यही प्रावधित किया गया है कि यदि

उप मजिस्ट्रेट
रामनवास

Scanned with CamScanner

किसी खातेदार के पास अपनी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो निकटतम भूमि में होकर उसे रास्ता दिया जावेगा और रास्ते हेतु भूमि का निर्धारित मुआवजा रास्ता प्राप्त करने वाले पक्षकार से लिया जाकर, जिस खसरा नम्बरान की भूमि में से रास्ता दिया जावेगा, उसके खातेदारान को अदा किया जावेगा ।

यहां इस बात का उल्लेख किया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 की ओर से आपत्ती पेश की गई थी, जिस पर स्वयं मुझ पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली है ।

संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से व हमारे द्वारा व्यक्तिगत मौका अवलोकन के आधार पर यहां यह पाया जाता है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1826 में आने जाने हेतु तथा अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तहसीलदार बरनाला द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भी इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1826 में पहुँचने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग वाले स्थान के अनुसार खसरा नम्बर 1827 व 1828 में होकर चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम

एड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

वैकल्पिक रास्ता उसकी खातेदारी की भूमि में पहुँचने के लिए दिखाई नहीं देता है तथा यही सबसे निकटतम रास्ता है । हमारे विनम्र मतानुसार अप्रार्थीगण की ओर से दिया गया यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1831 में होकर एक अन्य रास्ता उपलब्ध है, क्योंकि अप्रार्थीगण की ओर से बताया जा रहा रास्ता वर्तमान रास्ते से काफी दूरी पर स्थित है तथा इसके अतिरिक्त मौके पर खसरा नम्बर 1810 के दक्षिण के आधे खेत पर पक्की दीवार बनी हुई है, इसलिए प्रार्थी को मुख्य रास्ते खसरा नम्बर 2176 से उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1826 तक आने जाने हेतु व अपने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु आराजी खसरा नम्बर 1827 व 1828 में होकर संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित अनुसार 25 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना हमारे विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिछोह में स्थित आराजी खसरा नम्बर मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 2176 से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1826 तक पहुँच हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल रंग के अनुसार 25

मजिस्ट्रेट
निवास

Scanned with CamScanner

फिट चौड़े गैरमुमकिन रास्ते हेतु, जो कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1827 व 1828 में होकर है, अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 की आराजियात् से रास्ते हेतु जो भी भूमि ली जायेगी, उसकी पैमाईश की जाकर पैमाईश के अनुसार भूमि अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की खातेदारी की भूमि से कम की जावे तथा रास्ते के रूप में दर्ज की जाने वाली भूमि की अद्यतन दर से डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि प्रार्थी से राजकोष में जमा करवाई जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 से 9 की खातेदारी से ली गई भूमि को गैरमुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने से पूर्व प्रार्थी से उक्त भूमि बाबत मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें, प्रार्थी द्वारा राजकोष में राशि जमा कराये जाने के उपरान्त उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 2 ता 9 को उक्त भूमि बाबत मुआवजे स्वरूप किया जावे । आदेश की पालना हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को तहरीर जारी की जावे ।

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

आदेश आज दिनांक 9/7/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner